न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या-40/2022

केशन उरांव वगैरह

बनाम्

राज्य

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया केशन उरांव व जितन उरांव दोनों के पिता—स्व0 एतवा उरांव व महादेव उरांव पिता—स्व0 रामदेव उरांव व रामे उरांव पिता—महंगू उरांव, सभी ग्राम निवासी—बालू, थाना—बालूमाथ, जिला—लातेहार के द्वारा मौजा—बालू थाना—बालूमाथ, जिला—लातेहार के नया सर्वे खाता नं0—310 प्लॉट नं0—2838 में अंकित रकबा 0.65 एकड़ को सुधार कर पुराना खाता नं0—144, प्लॉट नं0—1685 एवं 1658 के अनुसार रकबा 1.60 एकड़ करते हुए ऑनलाईन लगान कायम करने का निदेश अंचल अधिकारी, बालूमाथ को देने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम—बालू अन्तर्गत पुराना खाता नं0—144 जो आवेदक के पूर्वज लक्षवा उरांव एवं भागो उरांव पिता—छोटवा उरांव के नाम से प्रकाशित है तथा दोनों रैयत के वंशज शांतिपूर्वक उत्तराधिकार एवं वंशानुगत आधार पर जोत—कोड़ करते चले आ रहे थे। लक्षवा उरांव एवं भागो उरांव के पुत्र जो आपसी सहमति से उक्त भूमि पर अपन—अपने हिस्से का जोत—कोड़ कर रहे हैं। पुराना खाता नं0—144, पुराना प्लॉट नं0—1685 एवं 1658, कुल रकबा—1.60 एकड़ भूमि पर आवेदकगण हिस्सा स्वरूप जोत—कोड़ करते चले आ रहे हैं। आवेदकगण सुदूरवर्ती ग्राम के आदिवासी रैयत हैं, जिन्हें दिनांक 10.08.2021 को हाल खतियान में त्रुटिपूर्ण रकबा के संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ है। पुराना खाता नं0—144 से नया खाता नं0—310 एवं 469 निर्मित है। नया खाता—310 जो रैयत लक्षवा उरांव एवं भागो उरांव उर्फ मंगा उरांव दोनो पिता—चोरवा उरांव के नाम से प्रकाशित है। नया खाता नं0—310, नया प्लॉट नं0—2838 में दर्ज रकबा—0.65 एकड़ भूमि गलत

अंकित है, जबकि उक्त स्थान पर 1.60 एकड़ भूमि है, जिसपर आवेदकगण का जोत–कोड़ तथा दखल कब्जा है। आवेदकगण के लगान रसीद में हाल सवे खतियान में रकबा–1.60 एकड़ के स्थान पर मात्र 0.65 एकड़ दर्ज होने के कारण अंचल अधिकारी के द्वारा लगान रकबा कम कर दिया गया है। उक्त त्रुटि जो राजस्व विभाग (बंदोबस्त कार्यालय, पलामू) के कारण अंकित हुआ है। इसलिए जोत–कोड़, दखल–कब्जा एवं प्राप्त स्वत्व अधिकार के आधार पर अंचल अधिकारी, बालूमाथ को मूल रकबा–1.60 एकड़ का ऑनलाईन लगान कायम करने के लिए निदेश दिया जाय।

उत्तरवादी अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक 460 दिनांक 09.07.2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक केशन उरांव पिता–एतवा उरांव वगैरह ग्राम–बालू, थाना–बालूमाथ के आवेदन पत्र पर संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच कराया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा बालू के सी0एस0 मांग पंजी–II के हो0नं0 164 पर विफई उरांव, पिता–मंगू उरांव के नाम से मांग कायम है, जिसका खाता संख्या–144 प्लॉट संख्या–1685 एवं 1688 (आवेदन में प्लॉट 1658 दर्ज) का रकबा क्रमशः 0.02 एकड़ एवं 1.58 एकड़ दर्ज है। सी0एस0 प्लॉट 1685 एवं 1688 से आर0एस0 प्लॉट 2838 बना है, जिसका खाता संख्या–310 रकबा–0.65 एकड़ है जो खतियानी रैयत वियफा उरांव वगैरह के नाम से बना है। परन्तु अमीन के द्वारा मापी प्रतिवेदन के आधार पर आर0एस0 प्लॉट नं0–2838 का रकबा–1.60 एकड़ है। खतियान में रकबा सुधार हेतु आवेदक सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

सरकारी अधिवक्ता, लातेहार के द्वारा मंतव्य दिया गया है कि "A specialy empowerd revenue officer has a much wider power for the correction of the obvious error or insidental slips in a record of rights. It entitles him to correct the record where there has been a bonafide mistake, this section 90 of the C.N.T. Act. in substance authorises a settlement officer to reconsider the matter on merit. In my opinion petition is not maintainable. Petitioner may be directed to agitate the matter before competent Court."

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–90 विर्णत है कि "In case of discovery of bona fide or material error in record-of- rights within five years from the date of the certificate of its final publication

under sub- section (2) of Section 83, the Deputy Commissioner or any Revenue Officer specially empowered by the State Government in this behalf may, on his own motion or on application made to him within the said period, after holding an inquiry in the prescribed manner, by order in writing, direct that such error shall be corrected in the manner specified in the order. Provided that no such correction shall be made." छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–83(2) के अन्तर्गत लातेहार जिला के हाल सर्वे खतियान का अंतिम रूप से झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में दिनांक 10.08.2005 को प्रकाशित हुआ है।

सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य एवं आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–90 में पांच वर्ष के अन्दर आवेदन करने का उल्लेख है परन्तु आवेदकगण द्वारा अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.08.2005 के लगभग 16 वर्ष के पश्चात् उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में दिनांक 09.12.2021 को हाल सर्वे खतियान में अंकित त्रुटि सुधार के लिए आवेदन समर्पित किया गया है, जो नियमानुसार/ नियमसंगत नहीं है एवं Hopelessly barred by limitation से आच्छादित है तथा इस बावत आवेदकगण के द्वारा कोई भी संतोषजनक कारण नहीं दिया गया है। अतः आवेदकगण के आवेदन को खारिज किया जाता है। आवेदक छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम,1908 के अन्य सुसंगत धारा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार में अपना दावा पेस कर सकते हैं।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/07/24

08/07/24

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 17:34:44 +05:30
Location: 192.168.164.143